

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक/रीडर/2025/3654

दिनांक 06/10/2025

उपरोक्त प्रकरण- **गिरधारी** वनाम भूमिधारी तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956

मुकदमा संख्या:- 172/2025

-: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक  
19/भूअ/2025 दिनांक 29/09/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956  
की धारा -136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम **अणतपुरा** पटवार हल्का **अणतपुरा**  
तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के भूमि खाता संख्या 176 में खातेदार **गोठी देवी**  
**पाले स्व. लाल बनवारी जाति** के स्थान पर **गोठी देवी पाले बनवारी लाल** का  
नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का **अणतपुरा**  
उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस  
कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

( अनिल कुमार )

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक/रीडर/2025/3655-56

दिनांक 06/10/2025

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का **अणतपुरा** तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।

( अनिल कुमार )

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (सीकर)